न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–अशोकनगर

पुनर्विलोकन-6463/2018/अशोकनगर/भू.रा.

कमलेश पुत्र श्री भेरूलाल साहू
निवासी–वार्ड नं. 20 आनन्द ठेकेदार का बगीचा
जिला – अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती शीलाबाई पत्नी विजय कुमार जैन
निवासी – पुराना बाजार मोती मोहल्ला जिला – अशोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदक

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 04.1.19 नियत।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 395-II/2017 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01.06.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में कई ऐसी वैधानिक त्रुटियॉं, भूले रह गयी है। इनके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।

2 यहकि, आवेदक की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष जो पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था उसमें उठाये गये आधारो पर माननीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, और ना ही माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में उपरोक्त आधारो पर निष्कर्ष ही दिये है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश में अभिलेख की प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटि होने से माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।

3 यहकि, तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–3/2003–04 में बंटाकन की कार्यवाही विधिवत् रूप से की गयी थी। इसकी विधिवत् जानकारी अनावेदिका को थी किन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी इसके अतिरिक्त भूमि का विधिवत् सीमांकन आवेदक द्वारा कराया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यो पर माननीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया है, इसलिये माननीय न्यायालय के आदेश में अभिलेख की प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटि होने से माननीय न्यायालय का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 6463/2018/अशोकनगर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
25–02–19	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 395–दो/2017 में पारित आदेश दिनांक 01.06.18 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण कमांक रिव्यु 6463/2018/अशोकनगर/भू.रा. के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक अपील 395–दो/2017 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 01.06.18 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण में रिव्यु 6463/2018/अशोकनगर/भू.रा. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस	

समय जब आदेश पारित किया गया था, समयक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य